



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50415-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 28343 वर्ष 2025

अंकुर चतुर्वेदी तथा 2 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: इन्द्र मोहन सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: जी.ए., कार्तिकेय सिंह

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. द्वारा आज न्यायालय में संक्षिप्त प्रति-हलफनामा दाखिल किया गया, जिसे अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।
2. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. प्रारंभ में ही, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. द्वारा यह अवगत कराया गया कि वर्तमान प्रकरण में अंतिम प्रतिवेदन पूर्व में ही प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः प्रस्तुत रिट याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है।
4. उपर्युक्त कथन के दृष्टिगत तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्तागण के पक्ष में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, प्रस्तुत रिट याचिका को निष्प्रभावी मानते हुए निरस्त किया जाता है।

दिनांक : 11 मार्च 2026

आशीष/-

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।